(2)

न्यायालय उपजिलाधिकारी फूलपुर, इलाहाबाद।

[illegible]0 31 धारा 143 ज0वि0अधि0।

[illegible]– भदरपुर उर्फ दीनापुर, परगना सिकन्दरा, तहसील फूलपुर, जिला इलाहाबाद।

ओम महाविद्यालय बनाम जगरानी आदि।

## निर्णय

आदेश दि0 07/5/10

प्रस्तुत वाद ओम महाविद्यालय भदरपुर उर्फ दीनापुर द्वारा प्रबन्धक [illegible] कमलाकान्त मिश्र निवासी नैनी शहर इलाहाबाद, द्वारा इस आशय का [illegible] है कि मौजा भदरपुर उर्फ दीनापुर के आ0सं0 206 रकबा 0.2840हे0, 204 रकबा 0.1[illegible] 207 रकबा 0.1105हे0 व 206 रकबा 0.4305हे0 का बैनामें के आधार पर काबिज व दाखिल [illegible] विवादित भूमि पर बैनामे के बाद महाविद्यालय का निर्माण करा दिया है एवं खाली भूमि खेल–कूद के मैदान के रूप मे प्रयोग कर रहा है। विवादित भूमि पर कृषि कार्य नहीं [illegible] है। भूमि अकृषिक है। पत्रावली जॉच हेतु तहसीलदार फूलपुर के पास भेजी गई, [illegible] किया गया है कि भूमि पर महाविद्यालय निर्मित है एवं शेष भूमि मे खेल–कूद का मैदान [illegible] है। कृषि कार्य नही हो रहा है। सम्पूर्ण रकबा अकृषिक है। पत्रावली मे प्रतिवादी[illegible] नियमानुसार नोटिस निर्गत हुई जो बाद तामील शामिल पत्रावली है। कोई आपत्ति नहीं [illegible] है।

## आदेश

अतः आदेश हुआ कि मौजा भदरपुर उर्फ दीनापुर, परगना सिकन्दरा, तहसील [illegible] के आ0सं0 202 रकबा 0.4305 हे0, 206 रकबा 0.2840हे0, 204 रकबा 0.2450हे0 [illegible] 0.0557 हे0 भूमि को अकृषिक घोषित किया जाता है एवं भू–राजस्व से मुक्त किया जाता है। इस आदेश का लिखित खातेदारों के विशिष्ट अंश, चौहद्दी अथवा स्वामित्व पर कोई [illegible] नही पड़ेगा। तद्नुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद आवश्यक कार्यवाही [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

[illegible]
उपजिलाधिकारी फूलपुर
इलाहाबाद।

राजेश कुमार वर्मा
प्रबन्धक फूलपुर
राजस्व अभिलेखागार
कलेक्टरेट इलाहाबाद

[illegible] का दिनांक 2/9/2022
[illegible] का दिनांक 2/9/2022
[illegible] होने का [illegible] 2/9/2022

प्रधान
प्रति लिपिकार
इलाहाबाद

सत्य प्रतिलिपि 2/9/2022
अभिलेखपाल
राजस्व अभिलेखागार
इलाहाबाद

नकल नम्बर 24244
प्रार्थी का नाम [illegible]
नकल कर्ता [illegible]
मिलान कर्ता [illegible]
शब्द 2500 [illegible]
[illegible] 1.00.62

FIVE RUPEES INDIA Rs.5

FIVE RUPEES INDIA Rs.5